क्रम-संख्या–51

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 फरवरी, 2026

फाल्गुन 6, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 57 / 79-वि-1–2026-1-क-4-2026

लखनऊ, 25 फरवरी, 2026

———————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 जिससे नगर विकास अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 फरवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 2 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 8 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द और प्रतीक ''कुष्ठाश्रम'' निकाल दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2026

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनिमय के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916), उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिकाओं से सम्बंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या—83/2010 फेडरेशन ऑफ लेप्रोसी ऑर्गनाइजेशन (फोलो) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या—1151/2017 विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी बनाम भारत संघ और अन्य में, अपने आदेश दिनांक 07.05.2025 के माध्यम से राज्यों को कुष्ठ रोग से प्रभावित या ठीक हुए व्यक्तियों के विरूद्ध विभेद करने वाली और/या उनके प्रति अनादर सूचक विधियों को परिलक्षित करने हेतु एक समिति गठित करने के लिए निर्दिष्ट किया है और उनसे ऐसे विभेदकारी उपबंधों को हटाने के लिए अत्यावश्यक उपचारी कार्रवाई करने को कहा है।

पूर्वोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा राज्य में प्रचलित उन विधियों को परिलक्षित किया गया जिनमें कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और/या कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के सम्बंध में विभेदकारी उपबंध थे और ऐसे परिलक्षित विधिक उपबंधों में उपयुक्त संशोधन की मांग की गई। उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 का संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 57(2)/LXXIX-V-1–2026-1-ka-4-2026
Dated Lucknow, February 25, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Palika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 2026. The Nagar Vikas Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2026

(U.P. ACT no. 16 of 2026)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act , 2026 .

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 2nd day of February, 2026.

Amendment of Section 8 of U.P. Act no. 2 of 1916

2. In clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, the words and symbol "leper's homes," shall be *omitted*.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 4 of 2026

3. (1) The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2026 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) has been enacted to consolidate and amend the law relating to municipalities in the State of Uttar Pradesh.

The Hon'ble Supreme Court *vide* its order dated 07.05.2025 in Writ Petition (Civil) no. 83/2010 Federation of Lepy. Organ (Folo) & Anr. *versus* Union of India & Others and Writ Petition (Civil) no. 1151/2017 Vidhi Centre for Legal Policy *versus* Union of India & Others, directed the States to form a Committee to identify laws which discriminate against and/or are derogatory towards leprosy-affected or cured persons, and urged them to take urgent remedial action to remove such discriminatory provisions.

In order to ensure compliance of the aforesaid order, laws prevalent in the State which have discriminatory provisions in relation to persons affected by leprosy and/or persons cured of leprosy were identified by the Committee constituted for the aforesaid purpose and suitable amendments were sought in such identified legal provisions. In view of the above, it was decided to amend Section 8 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance no. 4 of 2026) was promulgated by the Governor on 2nd February, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 388 राजपत्र–2026–(1226)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 183 सा0 विधायी–2026–(1227)–70+230=300 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

388 RPH 2026 (Nagar Palika) data 7e